

**।। कार्यालय आदेश ।।**

का0आ0सं0-बी0/ओ0इष्ट0-5-4/2002/93/जे0, पटना, दिनांक-06.08.2014

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-10060, दिनांक-23.07.2014 के आलोक में बिहार सचिवालय सेवा में सहायक के रिक्त पद के विरुद्ध संविदा पर नियोजित सहायक सर्वश्री अशोक कुमार एवं प्रमोदानन्द झा को दिनांक-01.08.2014 के प्रभाव से सेवा समाप्त हो जाने के फलस्वरूप विधि विभाग के सहायकों के बीच आवंटित कार्य संबंधी पूर्व निर्गत कार्यालय आदेशों को आंशिक रूप से संशोधित करते हुये प्रशासनिक दृष्टिकोण से विभागीय निम्नलिखित सहायकों को उनके नाम के सामने उल्लिखित कार्यों को आवंटित किया जाता है :-

क्र0सं0	नाम/पदनाम	आवंटित कार्य
1.	श्री अजीत कुमार, सहायक	(1) उच्च न्यायालय, पटना में सरकारी अधिवक्ताओं और उनके कनीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति, (2) विभिन्न विभाग में बिहार सरकार के पक्ष रखने हेतु अधिवक्ताओं की नियुक्ति, (3) विशेष लोक अभियोजक एवं खान एवं भूतत्व विभाग में वादों के संचालनार्थ नियुक्त अधिवक्ताओं के शुल्क विपत्रादि।
2.	श्री रवीन्द्र कुमार, सहायक	(1) बिहार न्यायिक अकादमी का स्थापना, बजट एवं योजना, (2) 13वां वित्त आयोग से संबंधित सभी कार्य, (3) ए0सी0/डी0सी0 विपत्र, (4) उक्त कार्यों से संबंधित सभी स्तर के बैठक संबंधी कार्य, (5) वित्त विभाग/भारत सरकार से अपेक्षित प्रतिवेदनों संबंधी कार्य, (6) समय-समय पर प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा सौंपे गये महत्वपूर्ण कार्यादि।


2. उक्त क्रमांक को आवंटित कार्य से संबंधित संचिकाएँ श्री उदय कान्त चौधरी, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा सी0-1 एवं क्रमांक-2 को आवंटित कार्य से संबंधित संचिकाएँ श्री गणपति नाथ झा, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-जी के माध्यम से उपस्थापित किये जायेंगे।

3. यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

ह0/-अखिलेश कुमार जैन  
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या:-.....5784...../जे0, पटना, दिनांक-.....11-08-14

प्रतिलिपि:- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/सभी पदाधिकारीगण (प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/सभी सहायक, विधि विभाग, बिहार/श्री गणपति नाथ झा, प्रशाखा पदाधिकारी, विधि विभाग, बिहार/श्री उदय कान्त चौधरी, प्रशाखा पदाधिकारी, विधि विभाग, बिहार/प्रेषण शाखा (प्रभारी), विधि विभाग, बिहार/श्री ई0 हेम्ब्रम, सहायक, विधि विभाग, बिहार/सभी संबंधित सहायकगण, विधि विभाग, बिहार तथा आई0टी0 प्रबंधक, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(अखिलेश कुमार जैन)  
सरकार के सचिव, बिहार।